भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 1933
06 दिसम्बर, 2024 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

एबी पीएम-जेएवाई के अंतर्गत धनराशि का आवंटन

1933. श्री अरुण भारती:

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) जनवरी 2021 से अब तक एबी पीएम-जेएवाई के अंतर्गत वर्ष-वार कितनी धनराशि आवंटित, संवितरित और उपयोग की गई है;
(ख) उक्त अवधि के दौरान एबी पीएम-जेएवाई के अंतर्गत लाभार्थियों की संख्या कितनी है;
(ग) सरकार द्वारा जनवरी 2021 से अब तक उक्त योजना को सफल बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और
(घ) क्या सरकार आगामी पांच वर्षों में एबी पीएम-जेएवाई का विस्तार करने पर विचार कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी वर्ष-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री प्रतापराव जाधव)

(क): आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई) के अंतर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निधियां वास्तविक उपयोग के अनुसार जारी की जाती हैं। एबी-पीएमजेएवाई के तहत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को आवंटित और जारी की गई निधियों का वित्तीय वर्ष-वार विवरण निम्नानुसार है:

वित्त वर्ष	**राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सहायता अनुदान के रूप में जारी करने के लिए आबंटित निधियां (करोड़ रुपए में)**	**सहायता अनुदान के रूप में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को जारी की गई निधियां (करोड़ रुपए में)**
2020-21	5995	2978.86
2021-22	5995	2940.65
2022-23*	6000	6048.63
2023-24	6220	6060.44
2024-25	6878	4106.14 (दिनांक 25.11.2024 की स्थिति के अनुसार)

*वित्त वर्ष 2022-23 के बजट को संशोधित अनुमान के स्तर पर संशोधित कर 6,295 करोड़ रुपये कर दिया गया।

(ख): एबी-पीएमजेएवाई का लक्ष्य लगभग 55 करोड़ लाभार्थियों को मध्यम और विशिष्ट स्वास्थ्य परिचर्या अस्पताल में भर्ती करने के लिए प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख रुपये का स्वास्थ्य कवर प्रदान करना है, जो 12.37 करोड़ परिवारों के अनुरूप भारत की आबादी के सबसे कमजोर वर्ग का 40 प्रतिशत है।

शुरूआत में, एबी-पीएमजेएवाई के तहत 10.74 करोड़ लाभार्थी परिवारों को 2011 की सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना (एसईसीसी) के आधार पर लक्षित किया गया था, जिसमें परिवारों की पहचान करने के लिए ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में क्रमशः चयनित वंचना और व्यावसायिक मानदंडों का उपयोग किया गया था। इसके अतिरिक्त, जनवरी 2022 में, 11.7% की दशकीय वृद्धि दर के आधार पर, भारत सरकार ने लाभार्थी आधार को संशोधित करके 12 करोड़ परिवार कर दिया और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को ऐसे एसईसीसी लाभार्थियों, जिनकी पहचान और सत्यापन नहीं किया जा सका, के लिए लाभार्थियों के सत्यापन के लिए अन्य डेटाबेस का उपयोग करने की सुविधा दी गई है।

मार्च 2024 में आशाकर्मियों, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और आंगनवाड़ी सहायकों के 37 लाख परिवारों को भी योजना में शामिल किया गया था। इसके अतिरिक्त, दिनांक 29.10.2024 को भारत सरकार ने 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिकों को पारिवारिक आधार पर प्रति वर्ष 5 लाख रुपये तक का नि:शुल्क उपचार लाभ प्रदान करने के लिए, चाहे उनकी सामाजिक-आर्थिक स्थिति कुछ भी हो, योजना का विस्तार किया गया है। इसके अतिरिक्त, स्कीम को कार्यान्वित करने वाले अनेक राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने अपनी लागत पर लाभार्थी आधार का विस्तार किया है।

एबी-पीएमजेएवाई के तहत बनाए गए आयुष्मान कार्डों का वित्तीय वर्ष-वार विवरण निम्नानुसार है:

वित्त वर्ष	बनाए गए आयुष्मान कार्डों की संख्या
2020-21	3.2 करोड़
2021-22	2.3 करोड़
2022-23	9.4 करोड़
2023-24	11.4 करोड़
2024-25	2.2 करोड़ (दिनांक30.11.2024 की स्थिति के अनुसार)

(ग) और (घ): आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई) के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए कई उपाय किए गए हैं। ये बेहतर लाभार्थी पहचान, त्वरित सेवा, जागरूकता और निगरानी हैं। पहचाने गए लाभार्थियों की संख्या बढ़ाने के लिए, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (एनएचए) ने

डेटाबेस को बढ़ाया है, कार्ड सृजन को सुकर बनाने के लिए बीआईएस 2.0 सहित उन्नत तकनीक और लाखों लोगों को जोड़ने के लिए "आपके द्वार आयुष्मान" जैसे अभियानों को लागू किया गया है। स्वास्थ्य लाभ पैकेजों (एचबीपी 2022) के युक्तिकरण, लाभार्थी सुविधा एजेंसियों की शुरूआत के माध्यम से त्वरित सेवा को बढ़ावा दिया जाता है। लाभार्थी सशक्तिकरण प्रयासों में जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं के साथ साझेदारी, आयुष्मान मित्र जैसी पहल और लाभार्थियों को सूचित करने और रखने के लिए अधिकार और अभिनंदन पत्र जारी करना शामिल है। जागरूकता अभियान सूचना का प्रसार करने के लिए विविध मीडिया प्लेटफार्मों का लाभ उठाते हैं। एक समर्पित निगरानी और अनुसंधान प्रभाग, धोखाधड़ी-रोधी इकाईयों और आवधिक मूल्यांकनों के माध्यम से निगरानी सुनिश्चित की जाती है। साथ में, इन पहलों का उद्देश्य पहुंच में सुधार करना, पारदर्शिता सुनिश्चित करना और योजना की पहुंच और प्रभाव को अधिकतम करना है।

लगातार प्रयासों के परिणामस्वरूप, दिनांक 31.10.2024 की स्थिति के अनुसार, देश भर में 35.8 करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड सृजित किए गए हैं और लाभार्थियों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं की प्रदायगी सुनिश्चित करने के लिए 13,173 निजी अस्पतालों सहित कुल 29,870 अस्पताल इस योजना के तहत सूचीबद्ध हैं। इसके अतिरिक्त, इस योजना के तहत 1.13 लाख करोड़ रुपये के बराबर कुल 8.19 करोड़ अस्पताल दाखिले अधिकृत किए गए हैं।

*****